

सीताराम अनाम अर्जुन को

22.11.24

पतावली वेग हुई। प्रार्थी एवं उनके प्रतिभन्ता
 अनुपस्थित। प्रार्थी को न्यायालय से भाग
 पूर्ण-पूर्ण समग्र पर तीन-तीन बार
 आवाजे लगवायी गयी। आक्रुद्ध आवाज लगवाने
 के उपरांत भी प्रार्थी के न्यायालय से हटकर
 नहीं माने के कारण पतावली मन्तव्य आदेश-9
 निम्न-3710 दी के तहत अफस डायरी व अफस
 पत्रकी में शक्ति की जाती है। पतावली फौजदारी
 अंश नंबर से अफस होकर दाखिल अन्त है।

उपखण्ड अधिकारी
 जोबनेर, जयपुर

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. Some words like 'पतावली' and 'अफस' are visible.]